अध्याय – III

3. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.1 संवेदकों को अनुचित लाभ

सी0भी0सी0 की मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन नहीं करने और कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी करने के कारण, चलंत अग्रिम की वसूली नहीं होने पर ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी0भी0सी0) की मार्गदर्शिकाएँ (अप्रैल 2007) यह प्रावधानित करती है कि संवेदक को चलंत अग्रिम[1] (एम0ए0) का भुगतान आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए और इसकी वसूली समयबद्ध होनी चाहिए न कि कार्य की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि संवेदक द्वारा काम नहीं करने या धीमी गति से काम करने की स्थिति में अग्रिम की वसूली आरम्भ की जा सके और इस तरह वैसे अग्रिम के दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सके। उपर्युक्त वर्णित मार्गदर्शिकाएँ यह भी प्रावधानित करती है कि संवेदक द्वारा विपत्रों को विलम्ब से समर्पित करने या अन्य किसी कारणों से, विलम्ब से हुई वसूली पर स्पष्ट रूप से ब्याज भारित किया जाना चाहिए।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2015) से यह उद्धाटित हुआ कि कम्पनी ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, उसमें सुधार और विस्तार के लिए सात निविदाएँ [अर्थात् निविदाएँ आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0)] आमंत्रित (जुलाई 2013) की जो अन्य बातों के साथ, कार्य की आपूर्ति एवं कार्य के निर्माण घटकों की कुल लागत की 10 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज मुक्त चलंत अग्रिम का प्रावधान करता था। छः संवेदकों को, अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015 की अधिसूचित कार्यसमाप्ति अवधि के साथ, आपूर्ति और निर्माण कार्योंके निष्पादन हेतु नवम्बर 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान 14 अभिप्राय पत्र (एल0ओ0ए0) निर्गत किए गए थे। तद्नुसार कम्पनी द्वारा 12 एल0ओ0ए0 के विरुद्ध पाँच अभिप्राय पत्र संवेदकों को ₹ 48.15 करोड़ का चलंत अग्रिम प्रदान किया गया था जो संवेदकों के विपत्रों से 10 प्रतिशत की दर से समायोजित किया जाना था। एल0ए0ओ0 में अधिसूचित अवधि की समाप्ति के उपरान्त चलंत अग्रिम के बकाया राशि पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उपर्युक्त उल्लेखित सातों एन0आई0टी0 के दायरे में आने वाले सभी कार्य अधिसूचित अवधि के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संवेदकों द्वारा, अब तक (मार्च 2015), पूर्ण नहीं किया गया था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी, सी0भी0सी0 की मार्गदर्शिकाओं का उल्लंघन करते हुए, अधिसूचित अवधि के उपरान्त असमायोजित चलंत अग्रिम की बकाया राशि पर भारित किए जाने वाले ब्याज हेतु कोई भी उपवाक्य अपनी एन0आई0टी0/एल0ओ0ए0 में शामिल करने में विफल रहा। वित्तीय हितों की अनदेखी करने के कारण, कम्पनी

[1] चलंत अग्रिम संवेदकों/एजेंसियों को सामग्री एवं श्रम के स्थल पर लाने के लिए दिया जाता है।

मार्च 2015 तक संवेदकों के पास ₹ 34.09 करोड़ की असमायोजित चलंत अग्रिम पर ₹ 1.01 करोड़[2] के ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि ब्याज मुक्त चलंत अग्रिम के रूप में दिए गए ₹ 48.15 करोड़ में से ₹ 32.65 करोड़ संवेदकों के विपत्रों से काट लिया गया है और शेष ₹ 15.50 करोड़ की बकाया राशि संवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा हाल ही में जारी किए गए कार्यादेशों में ब्याज सहित चलंत अग्रिम के लिए प्रावधान शामिल किया गया है।

इस प्रकार, सी0भी0सी0 की मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन नहीं करने और कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी करने के कारण, ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज की हानि हुई और ₹ 15.50 करोड़ की चलंत अग्रिम अभी भी वसूलनीय था (अक्टूबर 2015)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015); जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.2 राजस्व की हानि

रेलवे कर्षण सेवा उपभोक्ता के संविदा मांग में बढ़ोतरी में अत्यधिक विलम्ब एवं न्यून दर पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 6.85 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश, 2006–07[3], अन्य बातों के साथ यह भी निर्दिष्ट करता है कि उच्च विभव (एच0टी0) उपभोक्ताओं की ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनकी संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी0ई0आर0सी0 टैरिफ आदेश 2010–11[4], रेलवे की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्षण सेवा (आर0टी0एस0) उपभोक्ता को ट्रान्सफॉर्मर क्षमता, संविदा माँग की 200 प्रतिशत तक, रखने की अनुमति देता है। यदि उपभोक्ता अपनी संविदा मांग के अनुसार अनुमत्य सीमा से अधिक क्षमता वाली ट्रान्सफॉर्मर का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी संविदा मांग तद्नुसार अनुपातिक रूप से बढ़ा दी जानी चाहिए।

तत्कालीन् बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, [सम्प्रति साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रब्यूशन कम्पनी लिमिटेड[5] (कम्पनी)] की अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 2013) कि:–

- कर्मनासा ग्रिड उप केन्द्र में पूर्व मध्य (ई0सी0) रेलवे, मुगलसराय का वरीय मंडल विद्युत अभियंता, एक आर0टी0एस0 उपभोक्ता, जिसकी संविदा माँग 7.5 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) थी, उपरोक्त टैरिफ आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कम्पनी के अनुमति से दो ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग कर रहा था, जिसमें एक ट्रान्सफॉर्मर (सितम्बर 1993 से स्थापित) की क्षमता 18.5 एम0भी0ए0 एवं दूसरे ट्रान्सफॉर्मर (मार्च 2012 से स्थापित) की क्षमता 21.6 एम0भी0ए0 था। तथापि टैरिफ आदेशों के प्रावधानानुसार कम्पनी उपर्युक्त वर्णित उपभोक्ता की भार वृद्धि में विफल रहा।

---

[2] कार्य पूर्ण होने हेतु अधिसूचित समयावधि के उपरान्त अवधि हेतु गणनित।

[3] नवम्बर 2006 से लागू।

[4] दिसम्बर 2010 से लागू।

[5] बी0एस0ई0बी0 के पुनर्गठन के पश्चात, जी0एस0एस0, कर्मनाशा के आर0टी0एस0 उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

- कथित उपभोक्ता की संविदा माँग, उपरोक्त टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार, नवम्बर 2006 से नवम्बर 2010 के लिए 12.33 एम0भी0ए0[6], दिसम्बर 2010 से मार्च 2012 के लिए 9.25 एम0भी0ए0[7] और अप्रैल 2012 से मई 2013 के लिए 10.80 एम0भी0ए0[8] गणना की गयी। टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कथित आर0टी0एस0 उपभोक्ता का तद्नुसार विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था।

कम्पनी द्वारा कथित उपभोक्ता की संविदा माँग जून 2013 में ही बढाकर 10.80 एम0भी0ए0 किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नही करने एवं कथित उपभोक्ता की संविदा–माँग में अत्यधिक विलम्ब से बढ़ोतरी के फलस्वरूप नवम्बर 2006 से मई 2013 की अवधि हेतु माँग शुल्क एवं उर्जा शुल्क के मद में ₹ 8.23 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को ब्याज के रूप में ₹ 6.85 करोड़ की परिणामी हानि भी वहन करनी पड़ी।

कम्पनी ने कहा कि (अक्टूबर 2015) उपभोक्ता ने नवम्बर 2006 से मई 2013 की अवधि हेतु माँग शुल्क और उर्जा शुल्क के मद में ₹ 8.23 करोड़ की राशि का भुगतान (जून 2015) कर दिया था। तथापि, तथ्य यही है कि संविदा माँग की बढ़ोतरी में अत्यधिक विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹ 6.85 करोड के ब्याज का हानि वहन करनी पड़ी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

3.3 संविदा माँग की वृद्धि में विलम्ब

मौजूदा उपभोक्ता के संविदा मांग की वृद्धि की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 45.70 लाख के राजस्व अर्जित करने की अवसर की हानि हुई।

बिहार विद्युत नियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) (वितरण लाइसेंसधारी के प्रदर्शन का मानकों) विनियम, 2006 की कंडिका 17, कंडिका 15 (4) (ख) के साथ पठित, यह निर्दिष्ट करता है कि एक मौजूदा उपभोक्ता की संविदा माँग की वृद्धि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी[9] उच्च विभव सेवाएँ (एच0टी0एस0) या हाई विभव निर्दिष्ट सेवाओं (एच0टी0एस0एस0) श्रेणी के मामले में 145 दिनों के भीतर उपभोक्ता का लोड बढ़ाया जाएगा जहां 33 के0भी0 लाइन का निर्माण कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त संशोधित बी0ई0आर0सी0 (वितरण लाइसेंसधारी के प्रदर्शन के मानकों) विनियम, 2006 में, कंडिका 4(ख) (10) एच0टी0एस0 श्रेणी में लोड की वृद्धि के मामलें में विद्युत आपूर्ति की शुरूआत के लिए निर्धारित शुल्क की प्राप्ति से 90 दिनों की समय सीमा तय करता है।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड [सम्प्रति, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड[10]] की एक इकाई विद्युत आपूर्ति अंचल (ई0एस0सी0), पटना के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) से उद्घाटित हुआ किः

- एक मौजूदा निम्न विभव औद्योगिक सेवाएँ (एल0टी0आई0एस0) – I उपभोक्ता ने अपनी संविदा माँग में वृद्धि कर एच0टी0एस0 – II श्रेणी में 33 के0भी0 प्रणाली पर

---

6 18.5 एम0भी0ए0/150 प्रतिशत = 12.33 एम0भी0ए0।

7 18.5 एम0भी0ए0/200 प्रतिशत = 9.25 एम0भी0ए0।

8 21.6 एम0भी0ए0/200 प्रतिशत = 10.8 एम0भी0ए0।

9 लाइसेंसी का अर्थ भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अंतर्गत उर्जा आपूर्ति के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति, कम्पनी या स्थानीय प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से है।

10 नवम्बर 2012 में विघटित बी0एस0ई0बी0 से निर्मित पाँच कम्पनियों में से एक।

1250 किलो वोल्ट एम्पीयर (के0भी0ए0) करने के लिए आवेदन दिया (28 अगस्त 2012), जिसमें विद्युत आपूर्ति फरवरी 2013 से आरम्भ किया जाना था।

- ई0एस0सी0 पटना ने 10 दिनों की निर्धारित अवधि की तुलना में 146 दिनों की विलम्ब के उपरान्त, 22 जनवरी 2013 को केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति एरिया बोर्ड, पटना (एरिया बोर्ड) को व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ लोड बढ़ाने के प्रस्ताव को अग्रेषित किया। तथापि, एरिया बोर्ड ने जनवरी 2014 तक आवेदित भार वृद्धि की स्वीकृति प्रदान नहीं की थी।

- ई0एस0सी0 के विद्युत अधीक्षण अभियंता (ई0एस0ई0) के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन (अगस्त 2013) के आधार पर कथित उपभोक्ता का लोड बढ़ाने के आवेदन 30 जनवरी 2014 को ई0एस0ई0, पटना द्वारा वापस माँग लिया गया था। ई0एस0ई0 द्वारा 08 फरवरी 2014 को लोड वृद्धि को स्वीकृत किया गया। तदुपरांत उपभोक्ता ने 14 फरवरी 2014 को प्रतिभूति राशि जमा किया और 21 मई 2014 को उपभोक्ता के साथ एक एच0टी0 अनुबन्ध किया गया। 481 दिनों की असामान्य विलम्ब के उपरान्त 24 जून 2014 को कथित उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति आरम्भ की गई।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि संविदा माँग में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब मुख्य रूप से कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण हुई थी चूँकि प्रत्येक स्तर पर वस्तुतः भार वृद्धि के प्रस्ताव को तैयार करने और उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करने में, एच0टी0 समझौता करने में और विद्युत आपूर्ति आरम्भ करने में विलम्ब था जिसका औचित्य अथवा कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 45.70 लाख के राजस्व अर्जित करने की अवसर की हानि हुई।

तथ्यों और आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कम्पनी ने कहा कि इस सम्बन्ध में जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने का एक निर्णय लिया गया है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

3.4 न्यून दर पर विपत्रीकरण के कारण राजस्व की हानि

खराब मीटर के न बदले जाने और उपभोक्ता की श्रेणी एच0टी0एस0–I में परिवर्तित नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 53.28 लाख के राजस्व की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशें[11] यह निर्दिष्ट करती हैं कि गैर–घरेलू सेवाएँ श्रेणी (एन0डी0एस0) हेतु निम्न विभव सेवा (एल0टी0एस0) टैरिफ, एल0टी0 उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 60 किलोवाट (के0डब्ल्यू0) (मार्च 2012) तथा 70 के0डब्ल्यू0 (अप्रैल 2012 से) है, को विद्युत आपूर्ति हेतू लागू है। 75 किलो वोल्ट एम्पीयर (के0भी0ए0) या उससे अधिक वाले भार, उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0)–I श्रेणी के अंतर्गत आते है।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड [अब साऊथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी)] की एक इकाई, विद्युत आपूर्ति मण्डल, कंकड़बाग के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2014) से यह प्रदर्शित हुआ कि :

- एक उपभोक्ता का, 72 के0डब्ल्यू0 के सम्बद्ध भार पर एन0डी0एस0–II श्रेणी के अन्तर्गत न्यूनतम मासिक उपभोग (एम0एम0सी0) इकाई के आधार पर मार्च 2009 से विपत्रीकरण किया जा रहा था। चूँकि एन0डी0एस0 – II टैरिफ 60 के0डब्ल्यू0/70

[11] टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी), और टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी)।

के0डब्ल्यू0 के भार तक ही लागू है, इस उपभोक्ता को 60 के0डब्ल्यू0/70 के0डब्ल्यू0 से अधिक भार पर विद्युत आपूर्ति, टैरिफ आदेश के उल्लंघन में था।

- चूँकि इस उपभोक्ता को अनुमत्य सीमा से अधिक विद्युत आपूर्ति की जानकारी कम्पनी को थी, तथापि उचित कदम उठाते हुए उपभोक्ता की श्रेणी को एन0डी0एस0 – II से एच0टी0एस0 – I में परिवर्तित करने की जवाबदेही कम्पनी पर थी। तथापि, कम्पनी यह कर पाने में विफल रही।

इसके अतिरिक्त हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि उपभोक्ता का उर्जा मीटर भी सितम्बर 2007 से खराब था। वितरण लाइसेंसी के निष्पादन के मानकों के अनुसार, कम्पनी द्वारा शहरी क्षेत्रों में खराब मीटर सात दिनों के भीतर बदल दिये जाने चाहिए थे। तथापि, कम्पनी द्वारा सात वर्ष बीतने के बाद सितम्बर 2015 में मीटर बदला गया। यह कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति के साथ साथ कम्पनी द्वारा वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता का द्योतक था।

कम्पनी ने कहा (अक्टूबर 2015) कि उपभोक्ता का भार सितम्बर 2015 से एच0टी0एस0–I में परिवर्तित कर दिया गया है और मार्च 2009 से सितम्बर 2015 की अवधि के लिए ₹ 53.28 लाख का विपत्रीकरण (सितम्बर 2015) भी किया जा चुका है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि वसूली की संभावना नगण्य है जैसा कि बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की नियम 10.18 के अनुसार उपभोक्ता से दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त किसी राशि की वसूली तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि वह राशि लाइसेंसी द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए बकाया शुल्कों के साथ निरंतर वसूलनीय राशि के रूप में न प्रदर्शित की जा रही हो।

इस प्रकार खराब मीटर के निर्धारित समयसीमा के भीतर न बदले जाने के साथ साथ कम्पनी द्वारा समय पर उपभोक्ता की श्रेणी एन0डी0एस0 – II से एच0टी0एस0 – I में नहीं परिवर्तित करने एवं कम दर पर विपत्रीकरण के कारण मार्च 2009 से सितम्बर 2015 की अवधि के लिए ₹ 53.28 लाख के राजस्व की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

3.5 कार्यादेशों का अनियमित प्रदान होना

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित सी0भी0सी0 की दिशा–निर्देशों का पालन न करने के फलस्वरूप ₹ 3.04 करोड़ के कार्य का नामांकन के आधार पर अनियमित रूप से आवंटन प्रदान किया।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी0भी0सी0) ने सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी0भी0ओ0) को, अपने सम्बन्धित बोर्ड/प्रबन्धन को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय[12] में नामांकन के आधार पर कार्य/क्रय/परामर्शी संविदा प्रदान करने में पारदर्शिता बरतने सम्बन्धित निर्देश से अवगत कराने के लिए, एक आदेश निर्गत (जुलाई 2007) किया। सी0भी0सी0 ने इस बात पर पुनः जोर दिया कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा प्रदान करने में निविदा प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी, एक मूलभूत आवश्यकता है, चूँकि संविदा प्रदान करने के किसी अन्य तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में दिये गये समता के अधिकार, जिसमें सभी सम्बन्धित पक्षों की समता निहित है, की उपेक्षा होती है।

[12] 2006 की एस0एल0पी0 (असैनिक) सं0 10174 से उत्पन्न।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वर्णित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य, इसके निगमों, प्राधिकरणों एवं एजेंसियों द्वारा सरकारी संविदाओं को सामान्य रूप से सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से ही प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक अधिप्राप्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और जिससे सभी निविदाकारों के साथ बराबरी का एवं स्पष्ट व्यवहार किया जा सके और अनियमितताओं, भ्रष्टाचार इत्यादि को दूर किया जा सके।

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना की अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) से उद्घाटित हुआ कि कम्पनी ने, बिना लोक निविदा आमंत्रित किए, स्टाफ क्वार्टर के रख–रखाव एवं अन्य कार्यों से सम्बन्धित ₹ 3.04 करोड़ के 46 कार्यादेश संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को नामांकन के आधार पर प्रदान किया (अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2014)। इसके अतिरिक्त, हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि उपर्युक्त वर्णित कम्पनी द्वारा नामांकन के आधार पर प्रदान की गई सरकारी संविदाएँ न तो अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में दी गई थीं और न हीं अभिलेखों में इसके सम्बन्ध में औचित्य अथवा कारणें दर्ज पाया गया था।

कम्पनी ने बताया (अक्टूबर 2015) कि प्रारम्भिक तौर पर कुछ कार्य कम्पनी के हितों एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए नामांकन के आधार पर प्रदान किये गये थे। तथापि, वर्तमान में, आपात स्थितियों को छोड़कर कोई भी कार्य नामांकन के आधार पर प्रदान नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित सी0भी0सी0 के दिशा–निर्देशों का पालन न करते हुए ₹ 3.04 करोड़ के कार्यो का आवंटन न सिर्फ अनियमित था बल्कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति में भी बाधक फलित हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (मई 2015); जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ

3.6 लेबर सेस की कटौती न करना

संवेदकों के विपत्र से लेबर सेस की अनिवार्य कटौती को लागू करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 12.93 करोड़ की दायित्व का सृजन हुआ।

बिहार सरकार ने, जैसा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी सेस अधिनियम, 1966[13] (अधिनियम), की फरवरी 2008 में निर्गत अधिसूचना में विचारित है, असाधारण राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से लेबर सेस लागू किया। अधिनियम, नियोक्ता द्वारा निर्माण मद में किए व्यय का एक प्रतिशत की दर से सेस की कटौती हेतु निर्दिष्ट करता है।

अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार, निर्माण कार्य में संलग्न सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कार्यकारी अभिकरणों के विपत्रों से निर्दिष्ट दर पर लेबर सेस की कटौती करते हुए इसे ''भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी बोर्ड'' (कल्याणकारी बोर्ड) के पास रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट् के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा करना है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 8 यह भी निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई नियोक्ता निर्दिष्ट समय में लेबर सेस के भुगतान में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता प्रत्येक माह एवं माह के अंश अवधि हेतु दो प्रतिशत के दर से लेबर सेस के वास्तविक भुगतान होने तक ब्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

[13] अधिनियम की घारा 2(ख) यह प्रावधानित करता है कि भवन या अन्य निर्माण कार्य का अर्थ भवनों, मार्गों, सड़कों, रेलवे, उर्जा के उत्पादन, संचरण एवं वितरण, इत्यादि के निर्माण, सुधार, मरम्मत, देखभाल और विघटन से है परन्तु इसमें कोई भवन या अन्य निर्माण कार्य जो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आता है शामिल नहीं होगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया (दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015) कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियॉ वस्तुतः साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड लेबर सेस के मद में अधिदेशात्मक अनिवार्य कटौती नहीं कर रही थीं। इसके फलस्वरूप ₹ 12.93 करोड़ की राशि, जिसको सम्बन्धित प्राधिकरणों के पास जमा करना था, संवेदकों के विपत्रों से नहीं काटा गया। इसके परिणामस्वरूप, लेबर सेस के मद में कल्याणकारी बोर्ड, बिहार सरकार के प्रति अप्रैल 2011 से जनवरी 2015 की अवधि के लिए ₹ 12.93 करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि सेस की देय राशि की गणना कर ली गयी है और निधि की उपलब्धता होने पर कल्याणकारी बोर्ड को भुगतान किया जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए, कहा कि वर्ष 2015–16 से लेबर सेस की कटौती की जा रही है।

अतः संवेदकों के विपत्र से लेबर सेस की अनिवार्य कटौती को लागू करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 12.93 करोड़ की अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (मई 2015) किया गया; जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.7 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

टैरिफ आदेशों एवं बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के फलस्वरूप दाण्डिक शुल्क का न्यून निर्धारण एवं ₹ 76.50 लाख से न्यून विपत्रीकरण हुआ।

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 (बी0ई0एस0सी0) के अनुसार विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग की स्थिति में बी0ई0एस0सी0 में निर्धारित सूत्रानुसार विद्युत शुल्क की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश[14] यह निर्दिष्ट करती है कि गैर–घरेलू सेवाएँ वर्ग (एन0डी0एस0) हेतु निम्न विभव सेवा (एल0टी0एस0) टैरिफ, एल0टी0 उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 67 के0भी0ए0/60 के0डब्ल्यू0 (मार्च 2012 तक) तथा 78 के0भी0ए0/70 के0डब्ल्यू0 (अप्रैल 2012 से) है, को विद्युत आपूर्ति हेतु लागू है। 75 के0भी0ए0/67.5 के0डब्ल्यू0 या उससे अधिक वाले भार उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0)–I[15] श्रेणी के अन्तर्गत आते है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के गोपालगंज प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि एक एन0डी0एस0 उपभोक्ता (उपभोक्ता सं0 : जी0पी0–15752) के परिसर के निरीक्षण के क्रम में स्वीकृत संविदा भार 21 के0डब्ल्यू0 के विरुद्ध सम्बद्ध भार 137 के0डब्ल्यू0 पाया (सितम्बर 2010) गया। इसी प्रकार हाजीपुर प्रमंडल के एक एन0डी0एस0 उपभोक्ता (उपभोक्ता सं0 : बी0एन0पी0–1546) के परिसर के निरीक्षण (अक्टूबर 2013) के क्रम में स्वीकृत संविदा भार 30 के0डब्ल्यू0 के विरुद्ध सम्बद्ध भार 172 के0डब्ल्यू0 पाया गया । तथापि, उपभोक्ता सं0 : जी0पी0–15752 एवं

[14] टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी), और टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी)।

[15] एच0टी0एस0–I टैरिफ न्यूनतम संविदा मांग 75 के0भी0ए0 और अधिकतम संविदा मांग 1500 के0भी0ए0 की संस्थापना के लिए विद्युत की आपूर्ति पर लागू है।

उपभोक्ता सं0 : बी0एन0पी0–1546 पर बी0ई0एस0सी0 में निर्धारित सूत्रानुसार प्रभार्य दांडिक शुल्क क्रमशः ₹ 41.61 लाख एवं ₹ 38.78 लाख के विरुद्ध कम्पनी द्वारा मात्र ₹ 11.89 लाख एवं ₹ 17.11 लाख दांडिक शुल्क के रूप में भारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप दांडिक शुल्क का ₹ 51.39 लाख से न्यून निर्धारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित उपभोक्ताओं का सम्बद्ध भार एन0डी0एस0 श्रेणी के लिए निर्धारित भार से अधिक पाया गया था, उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण एच0टी0एस0–I श्रेणी के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था। तथापि, उपभोक्ताओं की श्रेणी एच0टी0एस0–I में परिवर्तित करने और तद्नुसार विपत्रीकरण करने में कम्पनी विफल रही। अतः उपर्युक्त वर्णित उपभोक्ताओं श्रेणी को कम्पनी द्वारा एच0टी0एस0 – I श्रेणी में परिवर्तित करने में विफलता एवं न्यून दर पर विपत्रीकरण करने के कारण अक्टूबर 2010 से मार्च 2014 की अवधि के लिए ₹ 25.11 लाख का न्यून विपत्रीकरण हुआ।

इस प्रकार, कम्पनी के बी0ई0एस0सी0 टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन नही करने के फलस्वरूप दाण्डिक शुल्क का न्यून निर्धारण एवं ₹ 76.50 लाख से न्यून विपत्रीकरण हुआ एवं उपभोक्ताओं को इस सीमा तक अनुचित लाभ भी विस्तारित हुआ।

कम्पनी ने बताया (अक्टूबर 2015) कि उपभोक्ता संख्या– बी0एन0पी0–1546 के विरुद्ध ₹ 71.65 लाख की दाण्डिक शुल्क की वसूली के लिए सर्टिफिकेट परिवाद जून 2015 में दायर किया गया है। उपभोक्ता सं0 जी0पी0–15752 के संबंध में यह कहा गया कि मई 2015 में पुनः निरीक्षण किया गया और कथित उपभोक्ता का भार मात्र 50 के0डब्ल्यू0 पाया गया और तदनुसार ₹ 41.59 लाख का विपत्रीकरण किया (फरवरी 2015) गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ता संख्या जी0पी0–15752 के संबंध में कम्पनी पूर्व निरीक्षण के क्रम में पाये गये अधिक लोड के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षित दाण्डिक शुल्क अभी वसूल भी किया जाना है (अक्टूबर 2015)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

3.8 उपभोक्ता का गलत वर्गीकरण

स्ट्रीट लाईट उपभोक्ता के कम्पनी द्वारा गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार उसका विपत्रीकरण न्यून दर पर किये जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा 2008–09 से 2014–15 के लिए अनुमोदित टैरिफ आदेशों की अनुच्छेद 6 यह प्रावधानित करता है कि स्ट्रीट लाईट सर्विस (एस0एस0) निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, समिति, पंचायत इत्यादि एवं ऐसे क्षेत्र, जो नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, में सिग्नल प्रणाली सहित स्ट्रीट लाईट सेवा प्रणाली विद्युत की आपूर्ति पर लागू हैं, बशर्ते एक आपूर्ति बिन्दू से सम्बद्ध लैम्पों की संख्या पाँच से कम न हो। इसके अलावा, कथित टैरिफ आदेश स्ट्रीट लाईट के मीटरीकृत एवं अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को क्रमशः एस0एस0– I एवं एस0एस0– II में वर्गीकृत करती है और तद्नुसार विपत्रीकरण का प्रावधान करती है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के गोपालगंज प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (सितम्बर 2014) कि एक अमीटरीकृत उपभोक्ता, अधिसूचित क्षेत्र समिति, मीरगंज, जिसका सम्बद्ध भार 380 के0डब्लू0 था, एस0एस0–। श्रेणी के अन्तर्गत अप्रैल 2010 से विपत्रीकृत किया जा रहा था। चूँकि कथित उपभोक्ता एक अमीटरीकृत उपभोक्ता था अतः इसका विपत्रीकरण प्रचलित

टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार एस0एस0–II श्रेणी के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कथित उपभोक्ता के एस0एस0–I श्रेणी के तहत गलत वर्गीकरण एवं उसका न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण, कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि के लिए ₹ 6.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2.96 करोड किया गया। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2015) कि ₹ 2.33 करोड़ की राशि का विपत्रीकरण (मई 2015) कर लिया गया है और उपभोक्ता की श्रेणी भी एस0एस0 – II परिवर्तित कर दी गई है। तथापि, तथ्य यही है कि ₹ 3.08 करोड़ की राशि अभी भी वसूलनीय (अक्टूबर 2015) है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

3.9 पावर ट्रांसफॉर्मरों की क्रय पर परिहार्य व्यय

कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी और एक स्थायी आधार पर पावर ट्रांसफॉर्मरों (पी0टी0आर0) की क्रय में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 95.77 लाख का परिहार्य अधिव्यय फलित हुआ।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, अब बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), अपने से विघटित हुई कम्पनियों में से एक, ने बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 (बी0एफ0आर0) के अनुसार भविष्य में क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया को अंगीकार (जुलाई 2008) किया। संविदा हेतु सामान्य सिद्धांत से संबंधित बी0एफ0आर0 का नियम 30 (viii) (अ), यह प्रावधानित करती है, कि मूल्य विभिन्नता उपवाक्य केवल दीर्घावधि संविदा में प्रदान की जा सकती है और जहाँ आपूर्ति अवधि 18 महीनों से अधिक हो जबकि अल्पकालिक संविदाओं में स्थिर और स्थायी मूल्यों का प्रावधान होना चाहिए।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि कम्पनी ने बी0एफ0आर0 के उल्लंघन में मूल्य विभिन्नता के आधार पर दो 50 एम0भी0ए0 और दो 100 एम0भी0ए0 पावर ट्रांसफॉर्मरों[16] (पी0टी0आर0) की क्रय हेतु दो[17] निविदायें आमंत्रित (सितम्बर 2010 और अक्टूबर 2011) की जबकि आपूर्ति कयादेश निर्गत होने की तिथि से नौ महीनों के अंतर्गत किया जाना था। दो 50 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 का क्रय सीतामढ़ी ग्रिड सब–स्टेशन (जी0एस0एस0) और सबौर जी0एस0एस0 पर स्थापना हेतु था जबकि दो 100 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 का क्रय बेगूसराय जी0एस0एस0 और फतुहा जी0एस0एस0 पर स्थापन उद्देश्य हेतु था। कम्पनी ने अप्रैल 2011 और जुलाई 2012 में क्रमशः दो 50 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 और दो 100 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को दो[18] क्रय आदेश निर्गत किया। आपूर्ति अवधि के दौरान, ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न घटकों की कीमतों में मूल्य वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप कम्पनी को मूल्य वृद्धि उपवाक्य के मद में ₹ 95.77 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

---

[16] दो 50 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 की स्थलीय लागत ₹ 3.97 करोड़ और दो 100 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 की स्थलीय लागत ₹ 6.54 करोड़।

[17] एन0आई0टी0 सं0: 178/पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/11 दिनांक अक्टूबर 2010 और एन0आई0टी0 सं0: 181/पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2010 दिनांक सितम्बर 2010।

[18] क्रयादेश सं0: 11/ई0बी0 दिनांक 03.04.2012 और क्रयादेश सं0: 16/ई0बी0 दिनांक 19.07.2012।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि चूँकि ट्रांसफॉर्मर के लिए आपूर्ति अवधि 18 महीनों से कम की थी, अतः कम्पनी को, कथित ट्रांसफॉर्मरों का क्रय इस हेतु बी0एफ0आर0 के नियम 30 (viii) (अ) के अनुसार स्थिर मूल्यों के आधार पर ही करना चाहिए था।

प्रबंधन ने बताया (मई 2015) कि पी0टी0आर0 का क्रय परिवर्तनीय मूल्य के आधार पर न्यायोचित था चूँकि ट्रांसफॉर्मर के घटकों की कीमत लगातार बदलती रहती हैं यहाँ तक कि छोटी अवधि में भी। इसके अलावा, एक स्थिर मूल्य प्रणाली को अपनाने की स्थिति में ''स्थिर मूल्य'' बनाए रखने के क्रम में निविदाकार उच्च स्तर पर मूल्य भी उद्धृत कर सकता है जो मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुए भुगतान की राशि से ज्यादा भी हो सकता है। तथापि, तथ्य यही है कि कम्पनी बी0एफ0आर0 के प्रावधानों के अनुसार एक स्थायी मूल्य के आधार पर पी0टी0आर0 की क्रय में विफल रहा।

इस प्रकार, कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी और एक स्थायी आधार पर पावर ट्रांसफॉर्मर की क्रय में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 95.77 लाख का परिहार्य अधिव्यय फलित हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

3.10 क्रय किए गए गेहूँ के अनुचित भंडारण के कारण हानि

अनुचित भंडारण एवं क्रय किए गए गेहूँ की ससमय ढुलाई में विफलता के फलस्वरूप गेहूँ की गुणवत्ता में गिरावट तथा कमियों के कारण ₹ 20.09 करोड़ का हानि फलित हुआ।

बिहार सरकार (अप्रैल 2012) ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को रबी विपणन ऋतु (आर0एम0एस0) 2012–13 में राज्य में गेहूँ की क्रय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया। कम्पनी एवं प्राथमिक कृषि साख समितियाँ[19] (पैक्स) को क्रय एजेंसियों के तौर पर अधिकृत किया गया। कम्पनी को पैक्स एवं किसानों से प्राप्त गेहूँ भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) को ₹ 1426.04 प्रति क्विंटल की दर से आपूर्ति करना था। गेहूँ सरकार द्वारा निर्धारित मानकों[20] के अनुसार क्रय किया जाना था। गेहूँ का क्रय 15 अप्रैल 2012 से 31 जुलाई 2012 की अवधि में किया जाना था और इस प्रकार क्रय किये गये गेहूँ को 31 दिसम्बर 2012 तक एफ0सी0आई0 को आपूर्ति किया जाना था।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2015) से पता चला है कि कम्पनी के चार जिला कार्यालयों अर्थात भभुआ, भोजपुर, बक्सर और पटना कार्यालयों द्वारा 87230.12 मीट्रिक टन (एम0टी0) गेहूँ का क्रय किया गया एवं जून 2012 से फरवरी 2013 तक की अवधि के दौरान एफ0सी0आई0 को 50123.36 मीट्रिक टन गेहूँ पहुँचाया गया। क्रय किए गये गेहूँ की शेष मात्रा 37106.76 एम0टी0 या तो एफ0सी0आई0 के ससमय नहीं पहुँचाया गया या घटिया गुणवत्ता के आधार पर एफ0सी0आई0 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। एफ0सी0आई0 द्वारा गेहूँ की अस्वीकृति के बाद, कम्पनी द्वारा विभिन्न बिक्री केन्द्रों द्वारा क्रय किए गए गेहूँ के नमूने, गुणवत्ता परीक्षण हेतु एफ0सी0आई0 को भेजे गए थे। वर्णित गुणवत्ता परीक्षण से भी उद्घाटित (मई 2013) हुआ कि नमूनें

[19] प्राथमिक कृषि साख समितियाँ बिहार सरकार द्वारा गेहूँ एवं अन्य फसलों की क्रय हेतु नामित समितियाँ हैं।

[20] गेहूँ अच्छी विपणन योग्य स्थिति में होनी चाहिए। नमी 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, विजातीय तत्व, अन्य खाद्यान्न, क्षतिग्रस्त अन्न एवं आंशिक क्षतिग्रस्त अन्न क्रमशः 0.75%, 2%, 2% और 6%से अधिक नहीं होना चाहिए।

संक्रमित थे। इसके अतिक्ति, अभिलेखों से यह भी उद्घाटित हुआ कि गेहूँ की ससमय ढुलाई नहीं होने एवं क्रय किए गए गेहूँ के अवैज्ञानिक भंडारण के परिणामस्वरूप 37106.76 एम0टी0[21] भंडार की गई गेहूँ की गुणवत्ता में गिरावट हुई।

कम्पनी ने, गेहूँ की गुणवत्ता में अग्रेत्तर गिरावट को टालने हेतु, उपर्युक्त वर्णित जिलों में नीलामी के माध्यम से गेहूँ की शेष मात्रा का निपटान (मार्च और जुलाई 2013) किया। क्रय किए गये 37106.76 एम0टी0 गेहूँ की शेष मात्रा में से, मात्र 28076.96 एम0टी0 गेहूँ ₹ 31.54 करोड़ के लिए नीलाम किया गया था जोकि अन्यथा अच्छी हालत में एफ0सी0आई0 को आपूर्ति करने पर ₹ 40.05 करोड़ की राशि प्राप्त की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप, कम्पनी को गेहूँ की नीलामी के मद में ₹ 8.49 करोड़ एवं 9029.80 एम0टी0 गेहूँ की कमी के कारण ₹ 11.60 करोड़[22] की हानि वहन करना पड़ा।

इस प्रकार, एफ0सी0आई0 हेतु क्रय की गई गेहूँ की ससमय ढुलाई में कम्पनी की विफलता एवं गेहूँ की दीर्घावधि तक अनुचित भंडारण के फलस्वरूप गेहूँ की गुणवत्ता में आई गिरावट एवं अनाज की कमियों के कारण ₹ 20.09 करोड़ हानि फलित हुआ।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.11 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान

तीन कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 31 करोड़ का अनियमित अंशदान दिया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 181[23] यह प्रावधानित करती है कि एक कम्पनी के निदेशक मण्डल सदाशयी धर्मार्थ एवं अन्य कोष में अंशदान कर सकती है बशर्ते किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे अंशदान की कुल राशि शीघ्र पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के पाँच प्रतिशत, से अधिक हो, तो कम्पनी की आम सभा में कम्पनी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि तीन कम्पनियों वस्तुतः बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी0आर0पी0एन0एन0एल0), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बी0एस0बी0सी0सी0एल0) एवं बिहार राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी0एस0बी0सी0एल0) ने कुल ₹ 31 करोड़ की राशि वर्ष 2013–14 के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान दिया जो कि शीघ्र पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों हेतु उनकी औसत लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूँकि अंशदान राशि अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक था, आम सभा में अंशधारकों की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। तथापि, इन कम्पनियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कम्पनियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 31 करोड़ का अनियमित अंशदान दिया (फरवरी 2014 से मार्च 2014)।

बी0आर0पी0एन0एन0एल0, ने कहा (फरवरी 2015) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान हेतु निर्णय को, कम्पनी के अंशधारकों ने असाधारण आम सभा में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके अतिक्ति बी0एस0बी0सी0सी0एल0 ने कहा (जनवरी 2015) कि इस अंशदान की तिथि

---

[21] भभुआ – 6009.38 एम0टी0, भोजपुर – 8554.77 एम0टी0, बक्सर – 16380.95 एम0टी0 एवं पटना – 6161.66 एम0टी0।

[22] न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि ₹ 1285 प्रति क्विंटल पर गणनित।

[23] 12 सितम्बर 2013 से प्रभावी।

के उपरान्त बोर्ड की आहूत बैठक में कम्पनी द्वारा की गई अंशदान का अनुसमर्थन एवं अंशधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु निदेशकों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। बी0एस0बी0सी0एल0 ने अपने प्रारम्भिक उत्तर में कहा (मई 2015) कि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान सी0एस0आर0 व्यय का एक हिस्सा था, जिसके लिए आम सभा की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बी0आर0पी0एन0एन0एल0 एवं बी0एस0बी0सी0सी0एल0 के प्रशासनिक विभागों ने कम्पनियों के प्रबन्धन के जवाब से सहमति जताई।

कम्पनियों/विभागों का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं चूँकि एक वास्तविक धर्मार्थ या किसी अन्य कोष में अंशदान केवल आम सभा में कम्पनी की पूर्व सहमति के साथ किया जा सकता है और इस तरह का अंशदान कार्योत्तर अनुमोदन के माध्यम से नियमित नहीं किया जा सकता है।

मामला कम्पनियों/सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल और जुलाई 2015) किया गया; बी0एस0बी0सी0एल0 प्रबन्धन तथा प्रशासनिक विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

3.12 अधिशेष निधि का अतार्किक निवेश

दो कम्पनियों द्वारा वित्तीय प्रबन्धन के बुनियादी सिद्धांतों का पालन न कर अधिशेष निधियों का निवेश करने के कारण ₹ 31.06 लाख के ब्याज की हानि हुई।

सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक सिद्धान्त यह इंगित करता है कि एक व्यापारिक इकाई का अधिशेष धन, इस तरह से निवेशित किया जाना चाहिए कि यह व्यापारिक इकाई के संसाधनों को अधिकतम करें। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यवसायिक इकाई को भी संसाधनों के अधिकतमीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपनी वित्तीय हितों का ध्यान रखना चाहिए।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (बी0एस0टी0बी0पी0सी0एल0) एवं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0ई0डी0सी0एल0) के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2014 और फरवरी 2015) से उद्घाटित हुआ कि :

- बी0एस0टी0बी0पी0सी0एल0 द्वारा अपने अधिशेष निधि ₹ 55.09 करोड़ का निवेश (मई 2011 से अप्रैल 2014) विभिन्न बैंकों के साथ अल्प दर ब्याज प्रदान करने वाली 19 सावधि जमाओं में किया। यह प्रेक्षित किया गया बी0एस0टी0बी0पी0सी0एल0 द्वारा एक ही तिथि पर परिपक्वता की उसी अवधि हेतु कुछ बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज की अधिकतम दर की तुलना किये बिना कम ब्याज दर पर अधिशेष धन का निवेश किया गया। बी0एस0टी0बी0पी0सी0एल0 द्वारा अपने अधिशेष निधि को सावधि जमाओं में अल्प दर पर निवेश करने के अतार्किक वित्तीय निर्णय के कारण ₹ 24.52 लाख के ब्याज की हानि हुई।

- बी0एस0ई0डी0सी0एल0 ने ₹ 10.76 करोड़ और ₹ 7.74 करोड़ की अपनी अधिशेष निधि का निवेश (जून 2013 से जुलाई 2013) अल्प दर पर ब्याज प्रदान करने वाली क्रमशः तीन और सात सावधि जमाओं में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में किया तथापि उसी तिथि के दिन ₹ एक करोड़ तक के जमा पर तुलनात्मक रूप में उसी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज का दर अधिक था। बी0एस0ई0डी0सी0एल0 द्वारा अपने अधिशेष निधि सावधि जमाओं में अल्प दर पर निवेश करने के अतार्किक वित्तीय निर्णय के कारण ₹ 6.54 लाख के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने तथ्यों और आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि लेखा परीक्षा अवलोकन, भविष्य में अनुपालन हेतु अंकित कर लिया गया है।

इस प्रकार, कम्पनियों को उनके द्वारा वित्तीय प्रबन्धन के बुनियादी सिद्धांतों का पालन न कर अधिशेष निधियों का निवेश करने के कारण ₹ 31.06 लाख के ब्याज की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (मई 2015) किया गया; जवाब प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) है।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

3.13 नियोजन का अभाव

नियोजन के अभाव के साथ ही साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा तय की गई मुद्रण और आपूर्ति समय सारणी का पालन करने में कम्पनी द्वारा विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.57 करोड़ के दण्ड की कटौती हुई।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बी0एस0पी0पी0) के साथ सर्वशिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) के तहत् पुस्तकों की आपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर करती है। कथित समझौता ज्ञापन, अन्य बातों के अतिरिक्त यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक वर्ष, मार्च के अन्त तक पाठ्य–पुस्तकों/मुद्रण सामग्री का मंडल तक वितरण पूर्ण हो जाएगा, जिसमें विफल रहने पर बी0एस0पी0पी0 द्वारा दंड भारित किया जा सकता है जो कम्पनी को स्वीकार्य होगा।

कम्पनी के अभिलेखों की संविक्षा से उद्घाटित हुआ किः

- यद्यपि, पाठ्य पुस्तकों की वितरण हेतु एक समय सीमा एवं/अथवा लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कम्पनी बी0एस0पी0पी0 द्वारा तय समय–सारणी का पालन करने में विफल रहा।

- कम्पनी द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति में छः से सात महीनों का विलम्ब था, जिसके लिए बी0एस0पी0पी0 द्वारा दण्ड के रूप में कम्पनी की विपत्रों से ₹ 47.57[24] करोड़ की कुल कटौती की गयी।

हमलोगों ने अग्रेत्तर प्रेक्षित किया कि कम्पनी समय पर पाठ्य–पुस्तकों की मुद्रण/आपूर्ति के लिए एक सुदृढ़ योजना विकसित करने में विफल रहा है और पाठ्य–पुस्तकों के मुद्रण और आपूर्ति की प्रत्येक स्तर अर्थात निविदा को अंतिम रूप देने, कागजों का क्रय, सेट बनाने के साथ ही पाठ्य–पुस्तकों के प्रेषण में चार से सात महीने का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक वर्ष 2012–13 में कम्पनी द्वारा ₹ 22.88 करोड़ के दण्ड के भुगतान के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2013–14 में भी ऐसे अनुचित विलम्बों के दृष्टांत पाए गए। यह न केवल मुद्रण समय–सारणी के अनुपालन नहीं होने का द्योतक था बल्कि मुद्रण–कार्य के ससमय पूर्ण करने के लिए सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा नियोजन के अभाव को दर्शाता है।

इस प्रकार, नियोजन का अभाव और कम्पनी द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा तय की गई मुद्रण और आपूर्ति समय–सारणी का पालन करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.57 करोड़ के दण्ड की कटौती हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2015) कि आपूर्तिकर्ता द्वारा कागजों की आपूर्ति में विलम्ब एवं, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से पांडुलिपियाँ की प्राप्ति में विलम्ब,

[24] शैक्षणिक वर्ष 2012–13: ₹ 22.88 करोड़ और शैक्षणिक वर्ष 2013–14: ₹ 24.69 करोड़।

कार्यक्रम क्रियान्वयन के मध्य में बी0एस0पी0पी0 द्वारा प्रार्थित पुस्तकों में परिवर्तन इत्यादि के परिणामस्वरूप पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब हआ था। इसके अतिरिक्त, बी0एस0पी0पी0 द्वारा कम्पनी पर दण्ड के रूप में भारित किए गए ₹ 47.57 करोड़ की राशि की वापसी हेतु प्रयत्न किया जा रहा है।

जवाब तर्कसंगत नहीं है चूँकि विभिन्न चरणों में विलम्ब नियमित प्रकृति के थे और पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर उनके प्रभाव और उसके एवज में लगाए दण्ड को पुस्तकों के ससमय मुद्रण एवं वितरण हेतु एक सुदृढ़ योजना बनाकर टाला जा सकता था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2015) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.14 कम्पनी को हानि

सेट–निर्माताओं द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही सेट–निर्माताओं द्वारा कम आपूर्ति की गई पुस्तकों की लागत वसूल कर पाने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 5.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी), अन्य कार्यों के अतिरिक्त, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बी0एस0पी0पी0) को सर्वशिक्षा अभियान योजना (एस0एस0ए0) के अन्तर्गत पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के बीच वितरण हेतु पुस्तकों की आपूर्ति करता है। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी, निजी मुद्रकों को आदेश देता है, जो कम्पनी की ओर से, पुस्तकें मुद्रण कर इनकी आपूर्ति सेट–निर्माता के गोदामों में करते हैं। सेट निर्माता, कम्पनी की ओर से, जिलों के सम्बन्धित मंडलों को पुस्तकों की आपूर्ति करते है। एस0एस0ए0 हेतु वर्ग–वार/छात्र–वार/जिला–वार पाठ्य पुस्तकों के सेट बनाने एवं प्रखण्ड–वार ढुलाई हेतु निविदा प्रलेख की उपवाक्य 18, अन्य बातों के अलावा, यह प्रावधानित करती है कि बोलीदाता, कम्पनी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, प्लास्टिक चैट बैग में पाठ्य पुस्तकों का सेट बनाकर सभी वर्ग–वार/छात्र–वार/जिला–वार पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रखण्ड स्तर तक सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, पारगमन में या अन्यथा हानि, क्षति और कमी, बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2014) से उद्घाटित हुआ कि :

- एस0एस0ए0 के शैक्षणिक वर्ष 2012–13 और 2013–14 के लिए कुल 19,53,99,521 पुस्तकों का मुद्रण हुआ एवं इनकी आपूर्ति मुद्रकों द्वारा सेट–निर्माताओं को की गई।

- तथापि, सेट–निर्माताओं द्वारा, उपर्युक्त वर्णित शैक्षणिक वर्ष हेतु विभिन्न जिलों के लिए केवल 19,33,32,330 पुस्तकों की आपूर्ति की गयी थी। इस प्रकार, मुद्रकों द्वारा मुद्रित पुस्तकों की संख्या की तुलना में सेट–निर्माताओं द्वारा ₹ 5.20 करोड़ मूल्य के 18,53,498[25] पुस्तकों की कम आपूर्ति की गयी थी।

हमलोगों ने अग्रेत्तर प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण था चूँकि सेट–निर्माता द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई भी तंत्र अस्तित्व में नहीं था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी में मुद्रकों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या और

[25] अंत शेष 213693 पुस्तकों का समायोजन करने के बाद।

सेट–निर्माता द्वारा विभिन्न जिलों के लिए आपूर्ति की गई पाठ्य पुस्तकों की संख्या के समाशोधन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी जिलों के सम्बन्धित ब्लॉक में मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की अनुश्रवण में विफल रहा। कम्पनी यह भी सुनिश्चित करने में विफल रहा कि सभी मुद्रित पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सेट बनाने हेतु किया गया एवं इसकी आपूर्ति लक्षित प्रखण्डों में कर दी गई।

- कम आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों के मूल्य ₹ 5.20 करोड़ की राशि सेट–निर्माता के विपत्रों से वसूल कर लिया जाना चाहिए था। तथापि, कम्पनी द्वारा यह नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को ₹ 5.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

इस प्रकार, सेट–निर्माताओं द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही सेट–निर्माताओं द्वारा कम आपूर्ति की गई पुस्तकों की लागत वसूल करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 5.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित (अप्रैल 2015) किया गया; जवाब प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2015)।

पटना
दिनांक 04 मार्च 2016

(पी0 के0 सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 11 मार्च 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक